

टिकट सं/Ticket No-

जीवित प्रमाण पत्र/LIFE CERTIFICATE

दिनांक 28/02/2007 के अ/29/2007 के प्रशासनिक निदेश के अंतर्गत एमडीएल से सेवा निवृत्ती पश्चात चिकित्सा योजना 2007 के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसंबर के पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।)

(To be submitted before 31st December of every year by the Claimant of benefits under the MDL Post Retirement Medical Scheme 2007 under administrative instruction No.CH/29/2007 dated 28/02/2007).

भूतपूर्व कर्मचारी का नाम/ Name of the Ex-Employee	श्री/श्रीमती Shri/Smt.		
पूर्व पदनाम/ Ex-Designation:		पूर्व पी. सं/टी. सं Ex. P. No./T. No.	
विभाग/ Department		दिनांक को सेवा निवृत्ती/ Retired on	
पता एवम संपर्क दूरभाषा/मोबाइल सं/ Address & Contact Tel No./ Mobile No.			

भूतपूर्व कर्मचारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: _____

Signature/ Thumb impression of Ex. Employee:

पति-पत्नी का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान: _____

Signature/ Thumb impression of spouse निवृत्ती

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ की पति/पत्नी जीवित है।

This is to certify that Shri/Smt. _____ and Shri/Smt. _____ spouse of Shri/Smt. _____

is alive.

यह प्रमाण पत्र कंपनी की सेवा निवृत्ती पश्चात चिकित्सा योजना के अंतर्गत कर्मचारी के पति/पत्नी का पोस्ट मेडिकल बेनीफिट पॉलिसी के रिन्यूवल हेतु जारी किया जाता है।

This certificate is issued for renewal of post medical benefits policy of employee and his/her spouse under company's post Retirement Medical Scheme.

दिनांक/Date:- _____ हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी /Signing authority _____

स्थान/Place:- _____ (जैसाकि नीचे उल्लिखित है/As mentioned below)

नोट: 1 जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष 31 दिसंबर तक या पहले मेसर्स माझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ज.नि(मा.स एवम क.स) विभाग, चिकित्सा एकक, डॉकयार्ड रोड, मुंबई-400 010 में पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा और आगे किसी भी कार्यवाई पर विचार नहीं किया जाएगा।

N.B 1. Life certificate must reach to M/s Mazagon Dock Shipbuilders Limited (HR&ER) department, medical Cell, Dockyard Road, and Mumbai-400010 on or before 31st December of every year, otherwise Insurance premium will not be paid to the insurance Company and no further correspondence will be entertained.

2. जीवन प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए निम्न प्राधिकारी है-

Authorities for certification of life Certificate are as under-

- अ) बैंक का शाखा प्रबन्धक/Branch manager of Bank
- आ) स्कूल का हैड मास्टर/ School Head Master
- इ) पोस्ट मास्टर/ Post Master
- ई) स्थानीय विधायक/संसद का सदस्य/Local MLA/MP
- उ) राजपत्रित अधिकारी/Gazetted officer
- ऊ) ग्राम पंचायत का सरपंच/Sarpanch of village panchayat.